

कृषि विज्ञान केन्द्र, जालोर

(कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर)

फार्म पर हिस्सा आधारित बीजोत्पादन फसलों की खेती हेतु निविदा

निविदा प्रपत्र क्रम संख्या	1
निविदा क्रम संख्या	प. स्टोर/कृषिके/जालोर/2020-21/20 दिनांक: 23.05.2020
निविदा लागत	450000
निविदा संदर्भ	खरीफ, 2020 व रबी 2020-21
परिशिष्ट संख्या-1	हिस्सा आधारित प्रणाली पर खरीफ, 2020 व रबी 2020-21 में बीजोत्पादन फसलों की खेती हेतु निविदा की शर्तें
परिशिष्ट संख्या-2	खरीफ-2020, रबी-2020-21 (1 जून, 2020 से 30 मई, 2021)
कार्य की अनुमानित अवधि	15 जून, 2020 से 30 मई, 2021
निविदा जमा करवाने की अन्तिम तिथि	—
निविदा खोलने की अन्तिम तिथि	—
निविदा खोलने का स्थान	वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र, जालोर
पत्राचार हेतु पता	वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र, केशवाना, जालोर (राज) 343001

नोट:- धरोहर राशि कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में जमा करवाई जा सकती हैं। धरोहर राशि दिनांक 8.06.2020 दोपहर पूर्व 12.00 बजे तक ही स्वीकार की जायेगी। धरोहर राशि रोकड या बैंक ड्राफ्ट द्वारा जो कि ट्रेनिंगऑर्गेनाइजर, कृषि विज्ञान केन्द्र, केशवाना, जालोर (राज) के नाम से देय हो कराई जा सकती हैं।

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष,
कृषि विज्ञान केन्द्र, केशवाना, जालोर (राज)

संलग्न:- निविदा प्रपत्र एवं शर्तें

परिशिष्ट संख्या-1

हिस्सा आधारित बीजोत्पादन फसलों की खेती हेतु निविदा प्रपत्र
(निविदा शर्तों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात ही निविदा प्रस्तुत करें)

प्रपत्र शुल्क: 200/-

निविदा क्रम संख्या: प. स्टोर/कृषिके/जालोर/20/20 दिनांक 23.05.2020	दिनांक 24.5.20 को राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित
योजना का नाम: बीज उत्पादन कार्यक्रम	हिस्सा आधारित प्रणाली पर खरीफ-2020, रबी-2020-21 में बीजोत्पादन फसलों की खेती (हेक्टर)
बजट हेड	रिवाल्विंग फण्ड
कार्य की अनुमानित अवधि	खरीफ-2020, रबी-2020-21 (15 जून, 2020 से 30 जून, 2021)
धरोहर राशि का विवरण 4500 रूपये मात्र रोकड/बैंक ड्राफ्ट	अक्षरे चार हजार पाँच सौ रूपये मात्र दिनांक:.....
निविदादाता /कांट्रेक्टर द्वारा लिए जाने वाले हिस्से का विवरण	
दाना/बीज उपज में से कांट्रेक्टर द्वारा रखा जाने वाला हिस्सा	
दाना/बीज उपज में से कांट्रेक्टर द्वारा केन्द्र को दिया जाने वाला हिस्सा	
चारा उपज में से कांट्रेक्टर द्वारा रखा जाने वाला हिस्सा	
चारा उपज में से कांट्रेक्टर द्वारा केन्द्र को दिया जाने वाला हिस्सा	
थनविदा दाता के हिस्से का उत्पादन केन्द्र द्वारा कय करने पर प्रचलित दर से देय अतिरिक्त राशि (अधिकतम 10 प्रतिशत)	
निविदादाता द्वारा दी गई विशेष शर्तें	

निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदादाता का नाम:

पता:

परिशिष्ट संख्या -2

निविदादाता

हिस्सा आधारित बीजोत्पादन फसलों की खेती हेतु निविदा की शर्तें

(निविदा शर्तों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात ही निविदा प्रस्तुत करें)

1. निविदा सीलबन्द लिफाफे में ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजर, कृषि विज्ञान केन्द्र, केशवाना, जालोर (राज) के नाम देय हों तथा निविदा लिफाफे पर "हिस्सा आधारित बीजोत्पादन फसलों की खेती हेतु निविदा 20/ 8.06.2020 दोपहर पूर्व 12.00 बजे तक देय" तथा निविदादाता का पता लिखा होना चाहियें।
2. निविदा स्याही से लिखी होनी चाहियें एवं प्रत्येक कार्य की दर अंको व शब्दों में स्पष्ट लिखी होनी चाहियें तथा किसी प्रकार की कांट छांट अथवा उपर ठीक किया हुआ स्वीकृत नहीं होगा।
3. निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पेज पर निविदादाता के हस्ताक्षर होने चाहियें।
4. सफल निविदादाता को कार्यादेश प्राप्त करने से पूर्व उनके **PAN NO.** एवं **GST No.** इस कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
5. निविदा दरें अनुमोदन के पश्चात खरीफ-2020, रबी-2020-21 (15 जून, 2020 से 30 जून, 2021) के लिए मान्य होगी।
6. निविदा के साथ 4000/-रूपयें की धरोहर राशि रोकड़ अथवा बैंक ड्राफ्ट, जो कि ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजर, कृषि विज्ञान केन्द्र, केशवाना, जालोर (राज) के नाम देय हों, प्रस्तुत करें। धरोहर राशि के बिना एवं निर्धारित समय के बाद प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
7. कार्य प्रभारी अधिकारी/फार्म प्रभारी / फार्म प्रबंधक की निगरानी में उनके निर्देशों के अनुसार निर्धारित समय में पूरा करना होगा।
8. ट्रेक्टर सम्बन्धी कार्य तथा डिस्क प्लाउ, हेरो, कल्टीवेटर द्वारा भूमि तैयारी का कार्य व बुवाई आदि हेतु आवश्यक मशीनरी की व्यवस्था केन्द्र द्वारा की जायेगी अर्थात् इनसे सम्बन्धित कृषि यंत्र, डीजल खर्च, वाहन चालक इत्यादी की व्यवस्था केन्द्र की रहेगी। जबकि इस कार्य में समस्त प्रकार के श्रमिक अवयव ठेकेदार के होंगे।
9. किसी भी नाबालिग या सजायाफ्ता व्यक्ति को कार्य पर नहीं लगाया जायेगा।
10. बुवाई हेतु बीज एवं खाद की आपूर्ति केन्द्र द्वारा की जायेगी। खेत की सफाई, बुवाई करना खरपतवार निकालना, बीज की सफाई व पैकिंग का कार्य ठेकेदार स्वयं ही करवायेगा, अर्थात् बुवाई से लेकर फसल के तैयार होने तक का श्रमिक अवयव व इसके बाद पैकिंग कर गोदाम में तौलने तक का समस्त श्रमिक कार्य निविदादाता कर ही होगा, तथा बारदाना केन्द्र द्वारा उपलब्ध करवाया जायेगा।
11. फसल वृद्धि के दौरान रोग व कीट प्रकोप की स्थिति में फफूंदनाशक, कीटनाशक व अन्य छिडकाव संबंधि दवाईयों की आपूर्ति केन्द्र करेगा, परन्तु श्रमिक अवयव निविदा दाता के ही होंगे।
12. विभिन्न प्रकार की शस्य क्रियाएं प्रभारी, फार्म मैनेजर के निर्देशानुसार करनी होगी तथा सभी अवयव निविदा दाता के ही होंगे।
13. निराई, गुडाई, सिंचाई व अन्य कृषि से सम्बन्धि कार्य मौसम की स्थिति को देखते हुए करने होंगे। प्रतिकूल मौसम होने पर कृषि कार्य फार्म मैनेजर या प्रभारी के निर्देशानुसार उचित समय पर करवाने होंगे।
14. कृषि कार्य जैसे जुताई, बुवाई निराई बुडाई, कटाई आदि कार्य समय पर करने होंगे। ऐसा नहीं करने पर अनुबंध को किसी भी समय निरस्त कर शेष कृषि कार्य केन्द्र स्वयं करने के लिए स्वतंत्र होगा।
15. फसलों में रोगींग/अपवाचन कार्य मैनेजर की देखरेख में करना होगा।
16. पम्प एवं टयबवेल इत्यादी चलाने का कार्य निविदादाता को ही करना होगा।
17. फसलों की रखवाली करना, समय पर निराई गुडाई, रासायनिक व जैविक दवाओं का छिडकाव/भुरकाव तथा समय पर तुडाई की पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। इसमें शिथिलता

बरतने पर, नुकसान होने की स्थिति में समिति द्वारा आंकलन कराया जायेगा एवं नुकसान की भरपाई निविदादाता के हिस्से में से काटकर की जायेगी। एवं जो कृषि कार्य ठेकेदार समय पर नहीं करवायेगा उसको केन्द्र स्वयं करवायेगा एवं उसकी लागत ठेकेदार के रकम से काटकर शेष राशि ही ठेकेदार को दी जायेगी।

18. फसलों का बीमा ठेकेदार स्वयं अपने खर्च पर करवायेगा। केन्द्र फसल बीमा हेतु उत्तरदायी नहीं होगा। एवं बीमा से प्राप्त रकम पर ठेकेदार का ही हक होगा।
19. फसलों के दौरान ठेकेदार स्वयं के पशु वगैरह फार्म पर नहीं लायेगा तथा न ही यहाँ से हरा चारा आदि ले जाने दिया जायेगा।
20. निविदादाता को केन्द्र के मुख्य द्वार से ही आना-जाना करना होगा। किसी भी अवांछित आदमी को फार्म पर आने की इजाजत नहीं होगी।
21. हिस्सा आधारित बीजोत्पादन खेती की बुवाई के क्षेत्रफल को बढ़ाने या कम करने तथा फसलों के चयन का अधिकार प्रभारी को होगा। किसी भी विवाद की स्थिति में वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा, जो कि निविदादाता को मानना होगा।
22. केन्द्र के फार्म पर निविदादाता को वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष/प्रभारी/फार्म मैनेजर द्वारा बताई गयी फसलों की बुवाई करनी होगी, इसके अलावा कोई भी फसलों की बुवाई निविदादाता द्वारा नहीं की जा सकेगी।
23. फार्म कार्य हेतु आवश्यक मशीनरी जैसे फावडा, कुदाली, गेंती, खुरपी, दंताली आदि ठेकेदार को स्वयं को लाने होंगे।
24. निविदादाता को खरीफ-2020 व रबी-2020-21 में बीजोत्पादन फसलों की खेती से प्राप्त उपज समय पर जमा करानी होगी। यदि निविदादाता के हिस्से का खरीफ-2019 व रबी-2019-20 का उत्पादन इस केन्द्र द्वारा कय किया जाता है तो निविदादाता को उसके एवज में उपज जमा कराने के पश्चात उसके तुरन्त अगले सात दिवस (एक सप्ताह) तक की कृषि उपज मण्डी में हो रही अधिकतम-न्यूनतम की औसत दर से भुगतान किया जायेगा, जो कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम नहीं होगा एवं ऐसी स्थिति में न्यूनतम समर्थन मूल्य देय होगा। उपरोक्त उत्पादन को कय करने का प्रथम अधिकार वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र, जालोर का होगा तथा जिस फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित नहीं होगा एवं मंडी में उसकी दर उपलब्ध नहीं होगी ऐसी स्थिति में बाजार में प्रचलित भावों को आधार मानकर कमेटी द्वारा दर निर्धारित की जायेगी।
25. अमानत राशि/धरोहर राशि कार्य पूर्ण हो जाने के बाद लौटा दी जायेगी। सफल निविदादाता के अलावा सभी की धरोहर राशि निविदा अनुमोदन के बाद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर 7 दिन में लौटा दी जायेगी। धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
26. किसी भी विवाद का निपटारा करने हेतु वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा और ठेकेदार पालना के लिये बाध्य होगा। विशेष परिस्थितियों में विवाद को माननीय कुलपति महोदय, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर के आविष्टेशन में प्रस्तुत करना होगा और उनका निर्णय ठेकेदार को मान्य होगा।
27. किसी भी निविदा को बिना करण बतायें निरस्त करने का अधिकार वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष के पास सुरक्षित रहेगा एवं प्रभारी अधिकारी के निर्णय सर्वमान्य होंगे।

मुझे निविदा की समस्त शर्तें मंजूर हैं तथा मैं उपरोक्त शर्तों पर कार्य करवाने के लिये सहमत हूँ		
निविदादाता / कोन्ट्रैक्टर के हस्ताक्षर दिनांक :		कमेटी सदस्य
	हस्ताक्षर मय सील	